राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा / ग्रुप–2 / 2020 जयपुर, दिनांक : 14.05.2021

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.05.2021 द्वारा आमजन को उनके निवास के नजदीक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला कलक्टरों को अपने जिले में उपलब्ध विभागीय मोबाईल मेडिकल यूनिट / मोबाईल मेडिकल वैन / बेस एम्बूलेंस को मय चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग / पैरा मेडिकल स्टाफ के माध्यम से मोबाईल ओपीडी, पीएचसी स्तर की निःशुल्क जांच एवं जिला चिकित्सालय स्तर की निःशुल्क दवाऐं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त मोबाईल मेडिकल यूनिट / मोबाईल मेडिकल वैन / बेस एम्बूलेंस के प्रभावी संचालन एवं आमजन को राहत प्रदान करने हेतु श्री मेधराज सिंह रत्नू, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एन.एच.एम., मुख्यालय, जयपुर को नोडल अधिकारी एवं श्री अनिल पालीवाल, परियोजना निदेशक, एन. एच. एम., मुख्यालय, जयपुर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। डा. जयन्त कुमार जैन, चिकित्सा अधिकारी उक्त कार्य में श्री रत्नू एवं श्री पालीवाल को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. समस्त जिला कलक्टर, राज.
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर
6. अतिरिक्त मिशन निदेशक, एन.एच.एम., मुख्यालय, जयपुर
7. परियोजना निदेशक, एन. एच. एम., मुख्यालय, जयपुर
8. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
12. स्टेट हैड जीवीके ईएमआरआई, शिफु बिल्डिंग झालाना, जयपुर
13. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
14. निजी / रक्षित पत्रावली

(दीपक सोनी) 14.5.21
शासन सहायक सचिव